न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 07/2018 दायर दिनांक–03.01.2018

अमरचन्द पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी कारी तहसीसल नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य
वकील प्रतिवादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर

वाद पत्र विविधत विभाजन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा।
:: **निर्णय** ::

निर्णय दिनांक 25.02.2020

वाद वादी दिनांक **13.02.2020** को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2020/360 दिनांक 25.02..2020 प्रस्तुत करने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम **कारी** की भूमि ख.नं. **1248 रकबा 1.24 हैक्टर** का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. ग्राम **कारी** की भूमि ख.नं. 1248 रकबा 0.62 का **अमरचंद पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन देह** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम **कारी** की भूमि खसरा नम्बर 1248/1 रकबा 0.62 हैक्टर का विजेन्द्र सिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री मुरारीलाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद पत्र विविधत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 07/2018 (अमरचन्द बनाम ताराचन्द आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **श्री मुरारीलाल शर्मा** (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.02.2020 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम **कारी** की भूमि ख.नं. **1248 रकबा 1.24 हैक्टर** का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. ग्राम **कारी** की भूमि ख.नं. 1248 रकबा 0.62 का **अमरचंद पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन देह** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम **कारी** की भूमि खसरा नम्बर 1248/1 रकबा 0.62 हैक्टर का विजेन्द्र सिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन..........–.............. मुबलिग..........–...........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...........फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....–...........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 25 माह 02 सन..2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner

सेवामें,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो.
नवलगढ़

विषय :— न्यायालय प्रकरण सं. 7/2018 उनवान अमरचंद बनाम तारा‌चंद आदि मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु।

प्रसंग :— आपके पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1062 दिनांक 20.2.2020

महोदयजी,

निवेदन है कि न्यायालय प्रकरण सं. 7/2018 अमरचंद उनवान तारा‌चंद के विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध मे ग्राम कारी के भूमि खसरा नं. 1248 रकबा 1.24 का विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार तैयार कर सेवामें पेश है।

1. अमरचंद पुत्र भगवानाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1248	0.62
2. विजेन्द्रसिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1248/1	0.62

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किया जाकर नजरी नक्शा बनाकर मौका फर्द पर हस्ताक्षर करायेगये

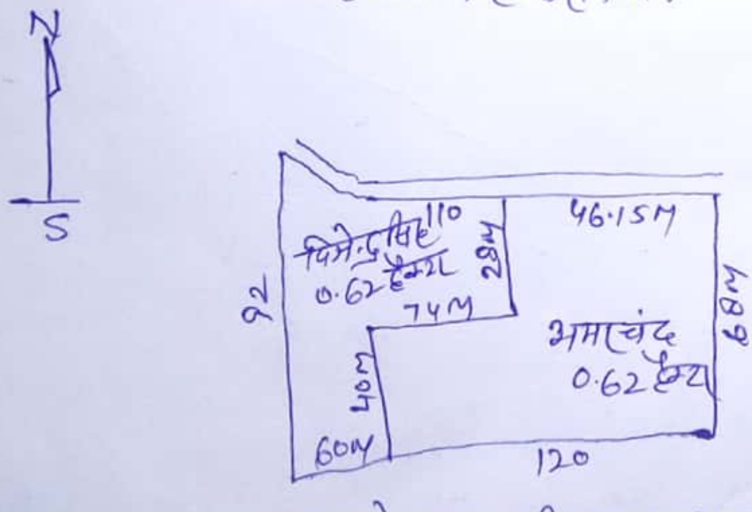

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर वादी व प्रतिवादी-2 के हस्ताक्षर कराये व पढा सुना कर फर्द तैयार की

Vijendra Singh [signature] [signature] पटवारी [signature] 24/2/2020

24/2/2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:51:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: